अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2024 को आयोजित 69वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 69th AUTHORITY MEETING HELD ON 20.08.2024 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे:-
The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, जेडीसी, सीप्ज़ एसईजेड	सदस्यसचिव/
2. श्री हिमांशु धर पांडे, उप निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय के नामिती	सदस्य
3. श्री. हसमुखभाई ढोलकिया, मेसर्स एच.के. डिजाइन (इंडिया) एलएलपी के पार्टनर	सदस्य
4. श्री सपिंदर सिंह, प्रबंध निदेशक, मेसर्स ओमेगा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।	सदस्य

1. Shri C.P.S Chauhan, JDC,SEEPZ SEZ	Member/ Secretary
2. Shri. Himanshu Dhar Pandey, Dy. Director, Nominee of Addl. Director General of Foreign Trade, Mumbai	Member
3. Shri. Hasmukhbhai Dholakiya, Partner of M/s. H. K. Design (India) LLP	Member
4. Shri. Sapinder Singh, Managing Director of M/s. Omega Products Pvt. Ltd.	Member

विशेष आमंत्रित:- क. श्री आदिल कोतवाल, अध्यक्ष/सीईओ, मेसर्स क्रिएशन्स ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। पूर्व प्राधिकरण सदस्य| ख. श्री अभय दोशी, मेसर्स फाइनलाइन सर्किट्स लिमिटेड के एम डी।	**Special Invitee:-** a. Shri Adil Kotwal, Chairman/ CEO of M/s. Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd. Ex-Authority Member. b. Shri Abhay Doshi, MD of M/s. Fineline Circuits Ltd.
डॉ. प्रसाद वरवंतकर, डीडीसी, सीप्ज़-सेज़, श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (वित्त), श्री मनीष कुमार, एडीसी (संपदा संचालन), श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री राजेश कुमार, यूडीसी भी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित हुए।	Dr. Prasad Varwantkar, Estate Officer, DDC, SEEPZ SEZ, Smt. Rekha Nair, ADC (Finance), Shri. Manish Kumar, ADC (Estate Operations), Shri. Ravindra Kumar, Assistant & Shri Rajesh Kumar, UDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
अध्यक्ष ने पिछले 2 वर्षों में प्राधिकरण के सुचारू संचालन में योगदान देने वाले निवर्तमान प्राधिकरण सदस्यों अर्थात् श्री आदिल कोतवाल और श्री अभय दोशी के प्रयासों के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष ने दो नए व्यापार सदस्यों अर्थात् श्री हसमुख ढोलकिया और श्री सपिंदर सिंह का स्वागत किया और उन्हें प्राधिकरण के अन्य सदस्यों से परिचित कराया। इसके बाद बैठक के एजेंडे पर चर्चा की गई।	The Chairperson expressed his appreciation and gratitude towards the efforts of the outgoing Authority members namely Sh. Adil Kotwal & Sh. Abhay Doshi for their contribution in smooth conduct of the Authority in last 2 years. The Chairperson welcomed the two new trade members namely Sh. Hasmukh Dholakia and Sh. Sapinder Singh and introduced them to other members of Authority. Thereafter the agenda of the meeting were taken up.
कार्यसूची मद सं .1:- दिनांक **18.07.2024** को आयोजित 68वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	**Agenda Item No. 1:-** Confirmation of the Minutes of the 68th Authority meeting held on **18.07.2024**.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सर्वसम्मति से **18.07.2024** को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की: संपदा अधिकारी को पिछली बैठक में लिए गए सभी लंबित/बैकलॉग निर्णयों को निपटाना होगा, यदि कोई हो, तथा अगली बैठक में उन्हें	**Decision:** After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on **18.07.2024** with consensus with the following observations : Estate Officer to clear all the pending/backlog

अद्यतन करना होगा।	decisions taken in the previous meeting if any and to update in the next meeting.
<u>कार्यसूची मद सं .1- क-:</u> प्लॉट धारकों से एक समान किराया और सेवा शुल्क वसूलने का अनुरोध। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि स्व-वित्तपोषण योजना के तहत निर्मित भवनों में स्थित यूनिटधारकों ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया था कि किराये की बकाया राशि वसूलने में विसंगति है क्योंकि प्लॉट धारकों पर यह शुल्क भूमि क्षेत्र पर लगाया जाता है जबकि एसडीएफ-7, टावर I और II तथा बहुमंजिला इमारतों जैसे स्व-वित्तपोषित भवनों में स्थित यूनिटों के लिए यह निर्मित क्षेत्र पर लगाया जाता है। दरों में विसंगति से बचने के लिए, यह प्रस्तावित है कि प्लॉट क्षेत्र पर प्रचलित पट्टा किराया और सेवा शुल्क का शुल्क भवन के पूरा होने की तिथि से पूर्वव्यापी आधार पर निर्मित निर्मित क्षेत्र के आधार पर लगाया जा सकता है।	**<u>Agenda Item No. 1A:-</u>** Request for levy of uniform rent and service charges to Plot holders. Authority was apprised that Unitholders located in Bldgs. constructed under self-financing scheme in their representation had mentioned that there is anomaly in the levy of the rental dues as the levy on plot holders is on the land area whereas for the units located in self financed buildings like SDF-7, Towers I & II & Multistoried Building, it is levied on the built-up area. In order to avoid the anomaly in the rates, it is proposed that the levy of the prevailing lease rent and service charges to the Plot area may be charged based on the constructed built up area on retrospective basis from the date of completion of the Building.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्लॉटधारकों से पट्टा किराया और सेवा शुल्क निर्मित क्षेत्र के आधार पर वसूला जाएगा, जैसा कि अन्य स्व-वित्तपोषित भवनों में किया जाता है, लेकिन प्रस्तावित पूर्वव्यापी आधार के बजाय 01.10.2024 से संभावित आधार पर और इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाएगा।	**<u>Decision:</u>** After deliberation, the Authority decided that the lease rent and service charges to be levied to the Plotholders on the basis of built up area as done in other self financed buildings but on prospective basis w.ef. 01.10.2024 instead of proposed retrospective basis and a circular to be issued in this behalf.
<u>कार्यसूची मद सं .2:</u> चिलर, ब्लोअर, एएचयू, अस्थायी मानसून शेड आदि के लिए स्थान के उपयोग के लिए किराए में वृद्धि का प्रस्ताव। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि चिलर, ब्लोअर, एएचयू आदि के स्थान के उपयोग के लिए लीज किराए में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए चिलर, ब्लोअर, एएचयू आदि के लिए किराए में संभावित प्रभाव से वृद्धि के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसा कि गाला के उपयोग के लिए किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5% है। इसके अलावा अस्थायी मानसून शेड के लिए किराए में वृद्धि की जानी चाहिए।	**<u>Agenda Item No. 2:-</u>** Proposal for increase in rent towards usage of space for chiller, blower, AHU, temporary monsoon shed etc. Authority was apprised that no revision of lease rent has been done for usage of the space of Chiller, Blower, AHU etc. Hence a decision needs to be taken for increase in rent for Chiller, Blower, AHU etc. on prospective effect similarly as is being done for the usage of gala i.e. @ 5% every financial year. Also the rent to be increased for temporary monsoon shed.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि ब्लोअर, स्क्रबर आदि के लिए छत के उपयोग का किराया, कब्जे वाले गाला के समान ही होगा, लेकिन उस भूमि के लिए, जहां यूनिटधारक को स्वयं का बुनियादी ढांचा तैयार करना है, किराया उक्त गाला दर का 40% लिया जाएगा। छत के साथ-साथ मैदान के किराये में भी वृद्धि मेला दर के समान ही होगी। इसके अलावा अस्थायी मानसून शेड का किराया भी मेला दर का 40% होगा।	**<u>Decision:</u>** After deliberation, the Authority decided that, the the rent for the use of terrace for blower, scrubber etc. to be the same as that of the gala occupied but for the ground where the Unitholder has to create own infrastructure the rent to be charged @ 40% of the said gala rate. The increase in the rent for terrace as well as for ground shall be the same as that of the gala rate. Further the rent for temporary monsoon shed shall also be increased to Rs. 100 per sq. mtr. p.m.

कार्यसूची मद सं .3:- अग्रदाय के माध्यम से किए गए मासिक व्यय का विवरण।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि दिनांक 07022024 को आयोजित प्राधिकरण की 65वीं बैठक के कार्यवृत्त, एजेंडा मद संख्या 02 के अनुसार प्राधिकरण की बैठक के समक्ष अग्रदाय के माध्यम से किए गए मासिक व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अप्रैल, 2024 से जुलाई 2024 तक किए गए व्यय को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण कोष में किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पीओएस कार्ड प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी।

Agenda Item No. 3:- Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.

Authority was apprised that as per the Minutes of 65th Authority meeting held on 07.02.2024, Agenda Item no. 02, it was directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority meeting. The expenses incurred from the month of April, 2024 to July 2024 were presented before the Authority.

It was also apprised to the Authority that the expenses to be recouped from the GoI Budget to Authority fund will be done only after receipt of POS Card.

निर्णय:

विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने अग्रिम भुगतान के माध्यम से किए गए व्यय पर गौर किया तथा भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण कोष में शीघ्र धनराशि जमा करने का निर्देश दिया।

Decision:

After deliberation, the Authority noted the expenses incurred through Imprest and also directed to expedite recoupe from GoI budget to Authority Fund.

कार्यसूची मद सं .4:- सीप्ज़ इकाइयों द्वारा कर्मचारियों/आगंतुकों को जारी किए जाने वाले एक दिवसीय पास की लागत में वृद्धि।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जोन में प्रवेश के लिए एक दिन/दैनिक गेट पास, एक दिन का वाहन पास, श्रमिक सहायक/निर्माता गेट पास और आगंतुक पास का प्रावधान है। परिपत्र संख्या 31 दिनांक 28.09.2023 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, इकाई ई-प्रवेश गेट पास प्रणाली के माध्यम से अपने आगंतुकों/कर्मचारियों के लिए एक दिन का पास बनाती है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि एक दिन के गेट पास की दरें 1 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये की जानी चाहिए। व्यापार से प्राधिकरण सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इकाइयों के नियमित कर्मचारियों के प्रवेश या निकास के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, और इसके बजाय दैनिक पास के लिए शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए।

Agenda Item No. 4:- Increase in cost for one day pass issued by SEEPZ units to the employees/visitors

Authority was apprised that for entry into the Zone, there is provision of one day/daily gate pass, one day vehicle pass, Labour ancillary/manufacturer gate pass & visitors pass. According to the procedure mentioned in Circular No. 31 dated 28.09.2023, Unit creates one day pass for their visitors/ employees through e-pravesh gate pass system. It was apprised to Authority that the rates of one day gate pass to be increased from Re. 1/- to Rs. 6/-. The Authority Members from Trade have suggested that no charges be levied for the entry or exit of regular employees of the units, and that the charges for daily passes be increased instead.

निर्णय:

विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि :

(क) अस्थायी गेट पास के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा:

Sr. No	Pass validity	For Person	For 2 Wheeler	For 4 Wheeler
1	01 day	Rs. 10/-	Rs. 10/-	Rs.20/-
2	10 days	Rs. 100/-	Rs. 50/-	Rs. 100
3	30 days	Rs.150/-	Rs.100/-	Rs. 150/-

नोट: इसके लिए जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा.

(ख) मुद्रण और अन्य विविध शुल्कों को छोड़कर स्थायी गेट

Decision:

After deliberation, the Authority decided that :

(a) The charges for tempory gate passes will be as under:

Sr. No	Pass validity	For Person	For 2 Wheeler	For 4 Wheeler
1	01 day	Rs. 10/-	Rs. 10/-	Rs.20/-
2	10 days	Rs. 100/-	Rs. 50/-	Rs. 100
3	30 days	Rs.150/-	Rs.100/-	Rs. 150/-

Note: A circular for this will be issued shortly.

(b) There is no charge for permanent gate pass

पास के लिए कोई शुल्क नहीं है, इसलिए पास की वैधता की परवाह किए बिना स्थायी गेटपास के संबंध में मुद्रण और अन्य विविध शुल्कों के लिए 50/- रुपये प्रति पास लिया जाएगा। व्यापार सदस्यों ने मालिकों के लिए वीवीआईपी कार पास का भी सुझाव दिया था, जिसके लिए यह निर्णय लिया गया कि मालिक अपने जोखिम पर यह सुनिश्चित करेंगे और एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि उनके वाहन में कोई भी शुल्क योग्य सामान जोन से बाहर नहीं ले जाया जाएगा, हालांकि वाहन की आकस्मिक जांच की जाएगी। ऐसे पास जारी करने के लिए एसओपी का विवरण देने वाला एक परिपत्र संपदा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह निर्देश दिया गया कि सुरक्षा प्रभारी को पास की आय के हिसाब से उपरोक्त शुल्कों के वित्तीय निहितार्थ की गणना करनी चाहिए और व्यापार सदस्यों द्वारा सुझाए गए अनुसार इकाइयों के स्थायी कर्मचारियों के लिए पास की छूट के लिए निर्णय लेने के लिए अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।	except printing and other miscellaneous charges, hence Rs. 50/- per pass for printing & other miscellaneous charges in respect of Permanent Gatepass irrespective of Validity of pass, will be taken. Trade members had also suggested for VVIP car pass for the owners for which it was decided that the Owners at their own risk ensure and furnish an Undertaking that no dutiable goods will be moved out of the Zone in their vehicle, though random checking of vehicle will be done. A circular detailing the SOP, for issuance of such passes, shall be issued by Estate Officer. It was directed that Security In-charge should calculate the working of the income of the passes vis-a-viz financial implication of the above charges and submit before the Authority in the next meeting to decide for exemption of passes for permanent employees of the Units, as suggested by the Trade members.
कार्यसूची मद सं .5:- सरकारी कर्मचारियों के HRA को भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण कोष में वापस लेने का प्रस्ताव। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि CAG ने एक ऑडिट आपत्ति उठाई थी कि सरकारी क्वार्टर में रहने वाले सरकारी अधिकारियों के वेतन से HRA काटा जा रहा है, हालाँकि, इसे प्राधिकरण कोष में जमा नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह, सिकॉम, निर्यात निरीक्षण एजेंसी आदि जैसे विभिन्न संगठनों के सरकारी कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। यह CAG के समक्ष उचित ठहराया गया कि संपत्ति को प्राधिकरण कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया था और इसलिए HRA को भारत सरकार के बजट में जमा किया जा रहा है। अब चूंकि सभी संपत्तियां प्राधिकरण की लेखा पुस्तकों में ले ली गई हैं, इसलिए, यह अवगत कराया गया कि SEEPZ कर्मचारियों सहित विभिन्न संगठनों के सभी सरकारी कर्मचारियों के HRA और लाइसेंस शुल्क को प्राधिकरण कोष में वापस कर दिया जाना चाहिए।	**Agenda Item No. 5:-** Proposal for recoupe of the HRA of the govt. employees from GoI budget into Authority fund. Authority was apprised that the CAG had raised an audit objection that the HRA is being deducted from the Govt. officials salary for residing in Govt. quarters, however, the same is not credited to Authority fund. There are Govt. employees from various organizations viz. National Test House, Sicom, Export Inspection Agency etc. residing in Govt. quarters. It was justified to the CAG that the assets were not transferred into Authority fund and therefore the HRA is being deposited in the GoI budget. Now, since all properties have been taken in the books of account of the Authority, hence, it was apprised that the HRA and the licence fee of all the Govt. employees of various organizations including SEEPZ staff to be recouped into Authority fund.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारियों के आवासों में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते और लाइसेंस शुल्क को भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण कोष में जमा किया जाएगा, क्योंकि उक्त भवन प्राधिकरण की संपत्ति हैं और उनका रखरखाव केवल प्राधिकरण कोष से किया जा रहा है।	**Decision:** After deliberation, the Authority decided that the HRA and licence fee of all the govt. employees residing in the Govt. staff quarters to be recouped from GoI budget to Authority fund as the said buildings are property of Authority and being maintained from Authority Fund only.
कार्यसूची मद सं .6:- संपत्ति के बंधक के लिए एनओसी के लिए आवेदन की जांच और प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण शुल्क के अनुमोदन का प्रस्ताव। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सीप्ज़-एसईजेड में कई	**Agenda Item No. 6:-** Proposal for approval of processing fee for scrutiny & processing of the application for NOC for mortgage of property. Authority was apprised that in SEEPZ-SEZ many of

इकाइयां बंधक के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन करती हैं। यह प्रस्तावित है कि संपत्ति के बंधक के लिए एनओसी के आवेदन के लिए, आवेदन की जांच और प्रसंस्करण के लिए सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा इकाई से शुल्क लिया जाना चाहिए।	the units apply for seeking NOC for Mortgage. It is proposed that for the application of NOC for mortgage of property, a fee should be charged by the SEEPZ Authority from the Unit for scrutiny and processing of the application.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने मंजूरी दी कि स्व-वित्तपोषित भवन के बंधक के लिए एनओसी की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए 10,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा तथा एनओसी पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।	**Decision:** After deliberation, the Authority approved that a fee of Rs. 10000 to be charged as fees for processing and approval of NOC for mortgage of self financed building and the NOC to be issued within 15 days of the receipt of the complete application.
कार्यसूची मद सं .7:- जीजेएससीआई के जोश को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित प्रस्ताव। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि व्यापार सदस्य श्री आदिल कोटवाल ने 27.03.2024 को आयोजित प्राधिकरण की 66वीं बैठक में मेगा सीएफसी सीप्ज़ में कौशल एवं प्रशिक्षण स्कूल 'जोश' को वित्तीय सहायता का मुद्दा उठाया। इस बात पर सहमति हुई कि सीप्ज़ प्राधिकरण शिक्षकों के वेतन और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए होने वाले व्यय को वहन करेगा और 'जोश' को प्रति वर्ष 1.2 करोड़ रुपये का योगदान देगा। राजस्व सृजन से संबंधित जोश से स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने आवंटित धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्तियों और व्यय का व्यापक विवरण और 2024-25 के अनुमान प्रस्तुत किए।	**Agenda Item No. 7:-** Proposal related to payment to be made to JOSH, GJSCI. Authority was apprised that the Trade member Shri Adil Kotwal in the 66th Authority meeting held on 27.03.2024, raised the issue of financial assistance to skilling & training school 'JOSH' at Mega CFC SEEPZ. It was agreed that, SEEPZ Authority, would meet the expenses towards the wages to the faculty and to hire experts in various fields to impart improved level of training, and would contribute Rs. 1.2 crore per annum to "JOSH" . A clarification was sought from JOSH related to generation of revenue. They submitted the comprehensive breakdown of the revenue receipts and expenditure of the FY 2023-24 & projections for 2024-25 to ensure the optimum utilization of the allocated funds.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि मेगा सीएफसी में कौशल एवं प्रशिक्षण स्कूल "जोश" के एक वर्ष के संकाय वेतन की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक वास्तविक व्यय पर की जाएगी। जीजेएससीआई छात्रों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए सीएसआर के माध्यम से एक तंत्र तैयार करके अधिक राजस्व उत्पन्न करेगा, अर्थात रत्न और आभूषण इकाइयों के लिए यूनिटधारकों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि तय करना, जो उक्त कुशल कार्यबल के वास्तविक लाभार्थी हैं। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि उनका कार्यालय जीजेएससीआई द्वारा जीएंडजे क्षेत्र की इकाइयों तक पहुंचने के लिए हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करेगा और "जोश" को इकाइयों के सीएसआर योगदान के आधार पर एक आत्मनिर्भर संस्थान बनाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में प्राधिकरण से धन की कोई आवश्यकता न हो।	**Decision:** After deliberation, the Authority decided that the faculty salary of "JOSH" the skilling & training school at Mega CFC for 1 year would be re-imbursed on actual expenditure incurred w.e.f. 1st Sept. 2024 to 31st Aug. 2025 by Authority. GJSCI to generate more revenue by devising a mechanism i.e. through CSR for training and providing skill to the students i.e to fix an amount to be paid by Unitholders for Gems & Jewellery Units who are the actual beneficiaries of the said skilled workforce. The Chairman assured that his office will extend all possible assistance and support in reaching out to G&J sector units by GJSCI in generation of funds and make "JOSH" a self sustainable institute based on the CSR contribution of the Units ensuring that there may not be any need of funds from Authority in future. Authority was of the opinion that they would review the generation of funds by GJSCI and contribution of Authority after one year.
कार्यसूची मद सं .8:- प्राधिकरण के लेखापरीक्षा संबंधी मामलों के लिए वरिष्ठ कार्यकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव।	**Agenda Item No. 8:-** Proposal for hiring of Sr. Executive for audit related matters of Authority.

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि खातों के दैनिक सुचारू संचालन, लेखापरीक्षा उत्तरों की तैयारी, खातों और बिल सत्यापन के लिए, लेखापरीक्षा कार्य की पृष्ठभूमि और अनुभव वाले एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसे प्राधिकरण से संबंधित कार्य के लिए 60,000 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर वरिष्ठ कार्यकारी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति को इसी तरह का काम करना चाहिए और सीएजी में काम करने का अनुभव होना चाहिए।	Authority was apprised that for day to day smooth functioning of accounts, preparation of audit replies, accounts and bill verifications, there is a need for a qualified person with the background & experience of Audit work who needs to be hired for Authority related work at a remuneration of Rs. 60,000 per month in the designation of Sr. Executive. The person should have undertaken similar work and should be possessing experience of working in CAG.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने मौजूदा जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के माध्यम से एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।	**Decision:** After deliberation, the Authority approved the proposal to hire a duly experienced and qualified person through the existing manpower providing agency.
कार्यसूची मद सं .9:- प्रति वर्ष 1/- रुपये प्रति वर्गमीटर की कम की गई पेनाल्टी का लाभ उठाने के लिए उप-लीज डीड निष्पादित करने के लिए 30.09.2024 तक समय विस्तार प्रदान करने का अनुरोध। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उप-लीज अनुबंध के निष्पादन में देरी के लिए पेनाल्टी को 100/- रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष से वापस 1/- रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा 11.10.2023 को आयोजित अपनी 63वीं प्राधिकरण बैठक में अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में 05.03.2024 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी यूनिट धारकों/सार्वजनिक उपयोगिताओं से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त छूट का लाभ उठाने के लिए 31.03.2024 को या उससे पहले उप-लीज अनुबंध निष्पादित करें। एसजीजेएमए और सीमा ने अनुबंधों के निष्पादन के लिए 30.09.2024 तक विस्तार का अनुरोध किया है।	**Agenda Item No. 9:-** Request for granting extension of time till 30.09.2024 for executing sub-lease deeds for availing reduced penalty of Rs.1/- per sq.mtr. per annum. Authority was apprised that the proposal for roll back the penalty to Re. 1/- per Sq.mtr. per annum from Rs.100/- per sq.mtr. per annum for delay in execution of sub-lease agreement was approved by the Authority in its 63rd Authority meeting held on 11.10.2023 and a circular was issued on 05.03.2024 to that effect requesting all the unit holders/public utilities to execute the sub-lease agreement on or before 31.03.2024 for availing the aforesaid exemption. SGJMA & SEEMA have requested for extension till 30.09.2024 for execution of agreements.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने उप-पट्टा समझौतों के पंजीकरण के लिए 30.09.2024 तक की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी। 30.09.2024 से आगे किसी भी समझौते पर निर्णय होने पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए संपदा अधिकारी द्वारा तत्काल एक परिपत्र जारी किया जाना चाहिए।	**Decision:** After deliberation, the Authority approved the extension for the period upto 30.09.2024 for registration of sub-lease agreements. Any agreement being adjudicated beyond 30.09.2024 will be levied penalty @ Rs. 100/- per sq. mtr. p.a. A circular needs to be issued for this by Estate Officer urgently.
कार्यसूची मद सं .10:- निम्नलिखित निविदा के बारे में प्राधिकरण का अद्यतनीकरण 1. SEEPZ-SEZ परिसर और आवासीय कर्मचारी क्वार्टरों से खुले और बंद गटरों, सीवरेज/ड्रेनेज लाइनों से कीचड़ हटाने और निपटान के लिए ठेकेदार की नियुक्ति - गटर सफाई निविदा। 2. SEEPZ-SEZ परिसर से मासिक निकासी / निपटान / निवेश पाउडर अपशिष्ट को हटाने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा 2024-25। 3. SEEPZ-SEZ 2024-25 के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए	**Agenda Item No. 10:-** Updation of Authority about the following Tenders : 1. Engagement of Contractor for Removal and Disposal of Sludge from Open & Closed Gutters, Sewerage/Drainage lines from SEEPZ-SEZ premises & Residential Staff Quarters - Gutter Cleaning Tender. 2. Tender for Engagement of Contractor for monthly Clearance / Disposal / Removal of Investment Powder Waste from SEEPZ- SEZ Premises 2024-25. 3. Tender for Engagement of Contractor for Waste

ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा. 4. SEEPZ SEZ, मुंबई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के लिए कायाकल्प और पुनर्विकास और कार्यान्वयन समर्थन के लिए रणनीतिक सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति।	Management for SEEPZ – SEZ 2024-25. 4. Appointment of Agency for providing Strategic Advisory Services for Rejuvenation and Redevelopment & Implementation support for various initiatives taken by SEEPZ SEZ.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने संबंधित सेवा प्रदाताओं को निविदाएं प्रदान करने के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की।	**Decision:** After deliberation, the Authority noted the updates on awarding the tenders to respective service providers.
पूरक एजेंडा मद संख्या 1:- पट्टा किराये पर ब्याज माफी का अनुरोध। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ब्याज माफी का प्रस्ताव 07.02.2024 को आयोजित प्राधिकरण की 65वीं बैठक में रखा गया था जिसमें कानूनी राय प्राप्त करने पर सहमति हुई थी। विधि और न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2024 में कहा है कि जैसा कि MOC&I ने अपने पत्र दिनांक 31.10.1995 में निर्देश दिया था कि जहां किराये या ब्याज की वसूली की कोई संभावना नहीं है, तो डीसी मूलधन और ब्याज को अलग-अलग दर्शाते हुए पूर्ण औचित्य के साथ मंत्रालय को इसे बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। MoJ&L ने यह भी उल्लेख किया था कि जैसा कि मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.10.1995 और SEZ प्राधिकरण नियम 2009 के नियम 7(6) में निर्दिष्ट किया गया है कि अप्राप्य पट्टा किराया MOC&I के अनुमोदन के अधीन बट्टे खाते में डाला जा सकता है, उन्होंने अप्राप्य पट्टा किराए पर लगाए गए ब्याज को बट्टे खाते में डालने के लिए संदर्भित विभाग के प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण के सदस्यों को ब्याज माफी और वादी यूनिटधारकों से वसूले जाने वाले राजस्व के संबंध में गणना पत्रक समझाया गया। यह भी रिकार्ड में लाया गया कि तीन वादी इकाइयों और एक वादी की सहयोगी संस्था ने अपने साझा पत्र दिनांक 07.08.2024 के तहत सेवा शुल्क, अग्नि उपकर आदि पर ब्याज सहित अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है तथा विवादित पट्टा किराये पर ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है।	**Supplementary Agenda Item No. 1:-** Request for waiver of interest on Lease rent. Authority was apprised that the proposal for waiver of interest was placed in the 65th Authority meeting held on 07.02.2024 wherein it was agreed to obtain a legal opinion. Branch Secretariat, Ministry of Law & Justice in its letter dt. 19.04.2024 stated that as MOC&I in its letter dt. 31.10.1995 had directed that where there is no possibility of recovery of rentals or interest then DCs may move for write off of the same to Ministry with full justification indicating the principal and interest separately. Also MoJ&L had mentioned that as Ministry letter dt. 31.10.1995 & Rule 7 (6) of SEZ Authority Rules 2009 specifies irrecoverable lease rent can be written off subject to approval of MOC&I, they have requested to approach administrative ministry of referring department for writing off of the interest levied on the irrecoverable lease rent. Authority members were explained the calculation sheet w.r.t. interest waiver and the revenue to be recovered from the litigant Unitholders. It was also brought on record that the three litigant units and one sister concern of one Litigant, vide their common letter dt. 07.08.2024 have agreed to pay all other dues including interest on service charges, fire cess etc. and requested to waive off the interest on disputed lease rent.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने एजेंडे से जुड़े अनुलग्नक के अनुसार 4 इकाइयों के संबंध में लीज रेंट पर ब्याज की माफी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया और नोट किया कि मुकदमेबाज यूनिटधारकों से लगभग 63 लाख रुपये के ब्याज की माफी पर, लगभग 241 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होगा और इससे मुकदमों को सुलझाने में मदद मिलेगी। हालांकि, उक्त माफी को एसईजेड प्राधिकरण नियम 2009 के नियम 7 (6) के अनुसार राइट ऑफ करने के लिए एमओसीएंडआई को सूचित किया जाएगा और 63 लाख रुपये की माफी का फैसला मंत्रालय के अंतिम फैसले	**Decision:** After deliberation, the Authority decided to accept the proposal for waiver of interest on lease rent in respect of the 4 Units as per the Annexure attached to the agenda and noted that on waiver of interest of approx. Rs. 63 lakhs from litigant Unitholders, there will be generation of revenue of approx. Rs. 2.41 crores and this would help in resolving the litigations. However, the said waiver will be conveyed to MOC&I for write off in

23/8

के बाद ही दिखाई देगा। प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि लीज रेंट, सेवा शुल्क और अग्नि उपकर की मूल राशि और सेवा शुल्क और अग्नि उपकर पर ब्याज ब्याज की माफी के फैसले के बावजूद जल्द से जल्द चुकाया जाए और आवेदक इकाइयां बिना किसी विवाद या विरोध के समान इकाइयों के बराबर भविष्य में सभी बकाया राशि का भुगतान करें जैसा कि उनके पत्र दिनांक 07082024 में सहमति हुई थी। यह भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि यह प्राधिकरण द्वारा विवादित लीज किराए के मामले में चल रहे मुकदमे को बंद करने के लिए लिया गया एक बार का निर्णय है, क्योंकि इन इकाइयों को जारी किए गए एमआईडीसी के प्रारंभिक आवंटन पत्र के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस निर्णय को भविष्य में किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा।	terms of Rule 7 (6) of the SEZ Authority Rules 2009 and the decision for waiver of Rs. 63 lakhs will be reflected only after the final decision of the Ministry. Authority also directed that the principal amount of lease rent, service charges and fire cess and the interest on service charges and fire cess to be cleared at the earliest irrespective of the decision of the waiver of interest and the applicant units to pay all dues in future on par with similarly placed units without any dispute or protest as agreed in their letter dt. 07.08.2024. It was further placed on record that this is a one time decision taken by Authority to close the on going litigation in the matter of disputed lease rents on account of confusion created due to MIDC's initial allotment letter issued to these Units. This decision not to be taken as a precedent in any other future matter.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।
The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

यह सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.

23.08.24

(सी.पी.एस.चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ सेज़,
सदस्य/सचिव